(3)

पुनरीक्षण प्र. क्र.-...........

प्रस्तुति दिनांक-...17/11/2015

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

केम्प इंदौर के समक्ष

नि. / 3800-PBR-15

रमेश पिता लक्ष्मीनारायण, जाति- सुतार,

निवासी- ग्राम खिमलावदा, तह. देपालपुर, जिला इंदौर ....पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी

विरूद्ध

विष्णु पिता लक्ष्मीनारायण, जाति- सुतार,

निवासी- ग्राम टकवासा, तहसील व जिला उज्जैन ....प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा ५० म. प्र. भू-राजस्व संहिता

यह निगरानी आवेदनपत्र माननीय अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक-२६/अ-२७/२०१४-१५ में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा १० व धारा १५१ व्यवहार प्रक्रिया संहिता को निरस्त आदेश दिनांक-१६/०६/२०१५ से असंतुष्ट होकर निगरानी अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्न आधारों पर श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं । -

(3)

रमेश / विरुद्ध
R-3800-PBR/15 इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
18.11.2015	आवेदक की ओर से श्री नीलेश व्यास अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 18.9.15 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि नामान्तरण एवं बटवारा के प्रकरण पृथक-पृथक शीर्ष में दर्ज होकर कार्यवाही की जाती है। दोनों प्रकरणों में एक-साथ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः कार्यवाही प्रथम दृष्टया विधिसंगत होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	18/11/15